15.5.19	पत्रावली पेश। वकील वादी उप० है। वादी के वादपत्र के तथ्य, वांछित अनुतोष एवं प्रस्तुत साक्ष्य पर सम्यक् विधि संगत विचार किया गया। वादी द्वारा प्रति० के विरुद्ध स्थाई आदेश का
15/5/19	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनु० रहे हैं, लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपने साक्ष्य में वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र एवं नकल जमाबंदी ग्राम गोधन पुरा प्रदर्श-1 प्रस्तुत की गई है।

हस्ब प्रदर्श-1 वादी वादग्रस्त आराजियात वाके माल मौजा गोधनपुरा ख० नं. 231, 239, 240, 307/681, 660/306, 721/242 किता 6 रकबा 0.70 हेक्टर का एकमात्र अभिलिखित खातेदार है अर्थात वादी की हैसियत खातेदार आसामी की है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त उक्त भूमि से कोई सीधा संबंध जाहिर नहीं आता है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में बेजा मदाखलत मजाहमत आदि की जाती है, तो इससे वादी को ऐसी क्षति होना संभाव्य है, जिसका मुद्रा के रूप में आंकलन संभव नहीं है।

वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का प्रत्यक्ष या परोक्ष सरोकार प्रमाणित नहीं है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि प्रतिवादीगण वादी की भूमि आराजी नं० 231, 239, 240, 307/681, 660/306, 721/242 किता 6 रकबा 0.70 हे० मौजा गोधनपुरा पर वादी के कब्जे-काश्त में न तो स्वयं न जरिये प्रतिनिधि मदाखलत मजाहमत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं करें। उक्त निषेधाज्ञा से प्रतिवादी-गण को सदा-सदा के लिये पाबंद किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 15/5/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। 15/05/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

अँतिम - डिकरी बमुकद्दमे ~~[illegible]~~

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंज मण्डी
ब इजलास चिमन लाल मीणा (R.A.S.)
गणेशराम बनाम बालाराम

दावा बाबत 188- R.T.Act. 1955

मुकद्दमा नं. 92 सन् 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू चिमनलाल मीणा (R.A.S.) ब हाजरी श्री मुकेश गोचर एड. मिनजानिब मुद्दई व X मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि बाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि प्रतिवादीगण/ वादी की भूमि आराजी नं० 231, 239, 240, 307/681, 660/306, 721/242 किता 6 रकबा 0.70 है. मौजा गोवर्धनपुरा पर वादी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं न जरिये प्रतिनिधि मदाखलत मजाहमत नहीं करें। उक्त निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को सदा-सदा के लिये पाबन्द किया जाता है। मीत मुबलिग बाबत
खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 05 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील	
महनताना वकील			खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकननामा	
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक	
मुतफर्रिक				
मीजान	—	—	मीजान	— —

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हे या नहीं
करना चाहिये। बाद व्यय पक्षकारान् स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी